



बिहार सरकार
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना-800 014

संख्या- FC/162/2020-836

प्रेषक,

सी. पी. खण्डूजा, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक- 14/08/2022

विषय- श्री शुभम द्वारा मधुबनी जिलान्तर्गत जयनगर मौजा के खाता संख्या-1066(N), 594(N), 421(O), 371(O), खेसरा संख्या- 1595(N), 1599(N), 2548(O), 2549(O), 2550(O), 2551(O), 1066(N), 594(N), 421(O), 371(O) थाना-जयनगर में NH-527B (OLD NH-105) पथ के किनारे BPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.0450 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राँची का पत्रांक-एफ.पी./बी.आर./अदरस/52385/2020/164-ए., दिनांक 22.03.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र द्वारा वन भूमि अपयोजन की सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हुई है। सैद्धान्तिक सहमति (Stage-I) पत्र में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन प्रयोक्ता एजेंसी के पत्र दिनांक 08.08.2022 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त हुआ है, जो निम्नवत है-

क्र० सं०	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राँची का पत्र दिनांक 22.03.2022 में निहित कंडिका	अनुपालन
A: Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the Stae Forest Department.		
1	The User agency shall transfer the const of raising and maintain the compensatory afforestation (100 trees plantation and maintenance for 10 year) at the current wage rate in consultation with state forest department in the account of CAMPA of the concerned State through online portal.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा हरितावरण को बनाये रखने के लिए 100 वृक्षों के रोपण तथा उनके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु रू० 7,71,390.00 (रू० सात लाख इकहत्तर हजार तीन सौ नब्बे) मात्र की राशि को बिहार राज्य हेतु निर्धारित Account No. 1506219952385226, BIHAR CAMPA, Union Bank of India, New Delhi, में e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर दिनांक 25.07.2022 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No. SBINR52022072575837990 है। उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।

2	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 0.045 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated	NPV मद में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा 0.045 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रु० 9,57,780/- प्रति हे० की दर से कुल रु० 43,100/- (तीतालीस हजार एक सौ रूपये) मात्र की राशि को बिहार राज्य हेतु निर्धारित Account No. 1506219952385226, BIHAR CAMPA, Union Bank of India, New Delhi, में e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर दिनांक 25.07.2022 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No. SBINR52022072575837990 है। उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।
3	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred deposited to CAMPA fund only through e-portal	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सभी प्रकार की राशि e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर दिनांक 25.07.2022 को राशि जमा करा दी गई है (बैंक e-challan RTGS/ NEFT की विस्तृत विवरणी इस पत्र के साथ संलग्न)।
4	The FRA, 2006 certificate as per Ministry's guidelines shall be submitted before the issuance of final approval. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये गये जिला पदाधिकारी, मधुबनी से निर्गत FRA 2006 प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न भेजा जा रहा है।
5	Violation of any of these conditions will amount to violation of forest (Conservation) Act, 1980	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि उनके द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।
6	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in)	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सभी शर्तों का Compliance report, Ministry के Website पर अपलोड कर दिया गया।
B: Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage – II approval:		
1	Legal status of forest land proposed for diversion shall remain unchanged.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि के वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
2	The state forest department shall plant 100 trees to maintain the green cover at the project cost. Plantation site for the purpose shall be identified by the State	100 पौधों के रोपण हेतु 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा जमा करा दी गयी है। अंतिम स्वीकृति के उपरांत उक्त कार्यों को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा किया जायेगा।
3	Additional amount of NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होती है, तो उसका भुगतान करेंगे।
4	The approach road to petrol pump/fuel station should be as per	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
a	Fuel station should generally be part of rest area complex having other amenities like place	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।

b	Suitable signs and markings showing the location of the fuel	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
c	Entire Periphery of the retail outlet should be lined up with tree plantation at a close spacing of 1.0 to 1.5 meter keeping an	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
d	Suitable plantations should be raised by the user agency along the approach road, separator	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
5	Wherever possible and technically feasible, the User Agency shall in consultation with SFD undertake appropriate	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
6	The User Agency shall ensure that the labourers and staff engaged in construction activity do not	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
7	The lay out plan of the proposal shall not be changed without prior approval of the Central Government.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
8 (a)	The forest land shall not be used for any purpose other than	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
(b)	The period of diversion under this approval shall be	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
(c)	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
9	Any other conditions that the Ministry of Environment,	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।

इस प्रकार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage- I) में अधिरोपित सभी शर्तों का अनुपालन किया गया है। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं NH से निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र पूर्व में उपलब्ध करा दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से विषयाधीन परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.045 हे० सुरक्षित वन घोषित पंथ किनारे की भूमि के अपयोजन हेतु अंतिम स्वीकृति (Stage - II) निर्गत करने का अनुरोध करने की कृपा की जाय। प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुशंसा प्राप्त है।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(सी. पी. खण्डूजा)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक— FC/162/2022- 836

दिनांक— 14/09/2022

प्रतिलिपि : वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर अंचल, मुजफ्फरपुर / वन प्रमंडल पदाधिकारी, मिथिला वन प्रमंडल, दरभंगा एवं श्री शुभम, पिता—श्री अरुण गुप्ता, वार्ड संख्या—08, मड़वारी मोहल्ला, जयनगर, जिला—मधुबनी, पिन—847226 को सूचना हेतु प्रेषित।

(Handwritten signature)

(सी. पी. खण्डूजा)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

Proforma

1	Name of Regional Office	Eastern Region, Ranchi				
2	State/Distt./ Forest Division to Which the proposal Relates	Bihar/Madhubani/ Mithiala Forest Division, Darbhanga.				
3	Name of User Agency nature of proposal	Shri Shubham/BPCL Retail Outlet				
4	Extent of forest area involved	0.045 Ha.				
5	Whether Original, or extension	Original				
6	If extension of lease, Pl clarify if proposal involves additional forest area, and if so, specify	-NA-				
7	Date of 1st stage Clearance	22.03.2022				
8	Extent of CAMPA charges head wise viz.					
	a. Compensatory Afforestation	7,71,390.00				
	b. Additional CA	-NA-				
	C. Penal CA	-NA-				
	d. Catchment Area Treatment	-NA-				
	e. Wildlife Management Plan	-NA-				
	f. Additional Charges for diversion of area falling under notified/Protected areas	-NA-				
	g. Net present Value	43,100.00				
	h. Any other charges/Levies (Pl Specify)	-NA-				
9	Details of Bank RTGS/NEFT head-wise against items indicated in paragraph	S.No	MODE Remtt.	UTR No. & Date	Amount	Head
		1	e-	SBINR52022072575837990	43,100/-	NPV
		2	challan	dt. 25.07.2022	7,71,390/-	CA
		Total-			8,14,490/-	
10	Whether deposited by RTGS, if so, the particulars & date of remittance	As above.				
11	Bank in which deposited, with date of deposition.	All above e-challan sent to Union Bank of India, New Delhi on dt. 25.07.2022				
12	Any other remarks					


(C. P. Khanduja)

Signature of APCCF (CAMPA)-
cum-Nodal Officer (FC), Bihar.

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

दिनांक— 08/08/2022



विषय— श्री शुभम द्वारा मधुबनी जिलान्तर्गत जयनगर मौजा के खाता संख्या—1066(N), 594(N), 421(O), 371(O), खेसरा संख्या— 1595(N), 1599(N), 2548(O), 2549(O), 2550(O), 2551(O), 1066(N), 594(N), 421(O), 371(O) थाना—जयनगर में NH-527B (OLD NH-105) पथ के किनारे BPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.0450 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग— आपका पत्रांक 661, दिनांक 19.07.2022,

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि विषयान्तर्गत प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक—एफ. पी./बी.आर./ अदरस/ 52385/2020/164—ए., दिनांक 22.03.2022 द्वारा दो भागों में (A में 1—6 शर्त एवं B में 1—9 शर्त) सैद्धांतिक स्वीकृति दी गयी है। उक्त का अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत् समर्पित कर रहा हूँ—

भाग—A: Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department.

1. हरितावरण को बनाये रखने हेतु 100 वृक्षों के रोपण की 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि रु. 7,71,390.00 को मेरे द्वारा बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA A/c No. 1506219952385226, Union Bank of India, New Delhi में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 25.07.2020 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.- SBINR52022072575837990 है, जो Ministry website पर प्रदर्शित है। (मूलप्रति संलग्न)।
2. NPV के मद में मेरे द्वारा द्वारा 0.045 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रु० 9,57,780/— प्रति हे० की दर से कुल रु० 43,100/— को बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA A/c No. 1506219952385226, Union Bank of India, New Delhi में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 25.07.2020 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.- SBINR52022072575837990 है, जो Ministry website पर प्रदर्शित है। (मूलप्रति संलग्न)।
3. मेरे द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण एवं NPV की राशि को e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर Union Bank of India, New Delhi के खाता में दिनांक 25.07.2022 को जमा करा दी गयी है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।
4. जिला पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा निर्गत FRA-2006 प्रमाण—पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
5. मेरे द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।
6. मेरे द्वारा सभी शर्तों का Compliance report, Ministry ds Website- <http://parivesh.nic.in> पर अपलोड कर दिया गया है।

37

भाग-B: Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the Usr Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage – II approval:

1. अपयोजित होने वाली वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करूंगा।
2. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
3. मेरे द्वारा वचनबद्धता दी गयी है कि प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होता है तो, उसका भुगतान करेंगे।
4. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- a. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- b. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- c. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- d. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
5. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
6. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
7. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
8. (a) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- (b) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- (c) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
9. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

इस प्रकार मेरे द्वारा सभी शर्तों का अनुपालन कर दिया गया है। अतः अनुरोध है कि मेरे द्वारा समर्पित परियोजना पर अन्तिम स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त

विश्वासभाजन,
Shubham

(शुभम)
पिता-श्री अरुण गुप्ता,
वार्ड संख्या-08, मड़वारी मोहल्ला,
जयनगर, जिला-मधुबनी,
पिन-847226

BI

भारतीय स्टेट बैंक
STATE BANK OF INDIA

36

Jayaram

25/7/2022

Received ₹ 814490.00

From SHUBHAM

For remittance of NEFT/RTGS by way of

(i) Transfer (only NEFT), (ii) Cash (only NEFT), (iii) Cheque (NEFT/RTGS) using

cheque No. (814490) 042786.

favouring

BIHAR CAMPA

A/c No. 1506219952385226

IFSC Code UBIN0996335

Beneficiary Bank & Branch

Union Bank of India, Delhi

Amount ₹ 814490.00

Bank's Charges ₹ 47.20

Total ₹ 814537.20

(Rupees

Only)

For office Use,

UTR No.

SBINR52022072575837999

Branch Manager

Shyam K
66

Make

भारतीय स्टेट बैंक/STB
शुभम/ Branch
Received

35

NEFT RTGS CHALLAN

AGENCY COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 22-07-2022

Agency Name.	shubham
Application No.	19952385226
MoEF/SG File No.	FP/BR/OTHERS/52385/2020
Location.	BIHAR
Address.	S/o Sri Arun Gupta, Ward No.-08, Marwari Mohalla Jaynagar, Madhubani
Amount(in Rs)	814490/-

Amount in Words :Eight Lakh Fourteen Thousand Four Hundred and Ninety Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	BIHAR CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1506219952385226 <small>Valid only for this challan amount.</small>
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Deihi -110003

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 22-07-2022

Agency Name.	shubham
Application No.	19952385226
MoEF/SG File No.	FP/BR/OTHERS/52385/2020
Location.	BIHAR
Address:	S/o Sri Arun Gupta, Ward No.-08, Marwari Mohalla Jaynagar, Madhubani
Amount(in Rs)	814490/-

Amount in Words :Eight Lakh Fourteen Thousand Four Hundred and Ninety Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	BIHAR CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1506219952385226 <small>Valid only for this challan amount.</small>
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to Email: cb0371@unionbankofindia.com

814490/-
47-20
814537-20

(34)

कार्यालय, जिला पदाधिकारी, मधुबनी के तहत रैखिक
परियोजना निर्माण हेतु FRA 2006 का प्रमाण पत्र

(भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नई दिल्ली द्वारा दिनांक
28-10-2014 को निर्गत दिशा-निर्देश के तहत)

संख्या 22A० दिनांक 21/०१/2०22

प्रमाणित किया जाता है कि मधुबनी जिलान्तर्गत जयनगर मौजा के खाता संख्या
1066,594(नया), 421,371 (पुराना), खेसरा संख्या-1595, 1599 (नया), 2548, 2549, 2550, 2551
(पुराना), थाना-जयनगर, एस0 एच0-527बी0 (पुराना एन0एच0-105) पथ के किनारे
बी0पी0सी0एल0 का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु सुरक्षित व
भूमि के 0.0450 हे० रकबा के अपयोजन (Diversion) हेतु प्रयोक्ता एजेसी के आवेदन पर
प्रमंडल पदाधिकारी, मिथिला वन प्रमंडल, दरभंगा के पत्रांक 20 दिनांक 05-01-2022 द्वारा FRA
2006 प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु अनुशंसा समर्पित किया गया है।

तदालोक में प्रस्ताव के जॉचोपरान्त प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित रैखिक
विकास परियोजना (कंडिका-1 में वर्णित) के लिये अपयोजित होने वाली भूमि पर अवशिष्ट
वृक्षरोपण दिनांक 13-12-2005 के पूर्व 75 वर्षों से कम अवधि में वन भूमि के रूप में अधिसूचित
किया गया है और परियोजना क्षेत्र के गांवों में वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणना के अनुसार
अनुसूचित जनजाति की अभिलिखित आबादी नहीं है।

स्थान:-
तिथि:-

A
201-01-22
जिला पदाधिकारी
मधुबनी।

OR

Certified that Forest land proposed to be diverted is
plantation which was notified as "forest" less than 75 years prior to the
13th day of December, 2005 and is located in villages having no recorded
population of Scheduled Tribes, as per the Census-2001 and the
Census-2011.

Place:-
Dated:-

A
201-01-22
District Magistrate
Madhubani